न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2012 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

RCMS NO : 2012/00012

अनवान

1. श्री भंवरा पिता मगना मेघवाल, निवासी सगपुरा खाखड़, तहसील झाड़ोल।
2. श्रीमती राधा देवी पत्नि भूरीलाल मेघवाल, निवासी सगपुरा खाखड़, तहसील झाड़ोल।

– प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री सोमराज पिता मंगला मीणा, निवासी तलाई चंदवास, तहसील झाड़ोल।
2. श्रीमती कागली पत्नि सोमराज मीणा, निवासी तलाई चं दवास, तहसील झाड़ोल।
3. श्रीमती बालू पत्नि सोमराज मीणा, निवासी तलाई चंदवास, तहसील झाड़ोल।
4. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सोनी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री राजेश सिंघवी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 12-05-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा सगपुरा खाखड़, तहसील झाड़ोल मे आराजी संख्या 26 क्षेत्रफल 0.4800हे. भूमि स्थित हो प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त उनके बाप दादाओं के समय से चला आ रहा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों के मकान बने होकर प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास एवं कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने विभिन्न फलदार वृक्ष आदि बो रखे हैं। विपक्षीगणों का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। विपक्षीगण ने धोखे से मिस्प्रजेन्टेशन कर गलत तथ्यों को दर्शाकर उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित करवा ली। उक्त भूमि विपक्षीगण द्वारा पटवारी, निरीक्षक से मिलीभगत कर स्वयं के नाम पर आवंटन कराया है। आवंटन के पूर्व कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, न ही प्रोक्लेमेशन जारी किया गया एवं न ही मौका देखा गया। इस प्रकार पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना भूमि का विपक्षीगण को आवंटन किया गया हैं। कथित आवेदन पर कई कॉलम छुटे हुए है तथा कॉलम नम्बर 1 व 2 मे आवेदन प्रस्तुतकर्ता के पास कितनी भूमि उपलब्ध है, उसका कॉलम भी छुटा हुआ हैं। आवंटन के कोरम मे समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने कागजो मे उक्त भूमि का आवंटन कराया है, जबकि मौके पर वे कभी आये ही नहीं है। विपक्षीगण को

एक ही दिन मे भूमि दिनांक 13.09.2001 को आवंटन की गई हैं। विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से उन्हे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नोटिस भी मिले हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 गांव चंदवास तलाई के रहने वाले है एवं भूमि सगपुरा खाखड़ मे स्थित है जो विपक्षीगण के गांव से काफी दूर है, लेकिन इसके बावजूद गलत तरीके से आवंटन कर दिया गया हैं। विपक्षीगण भूमिहीन व्यक्ति नहीं हैं। ऐसी स्थिति मे विधि विरूद्ध तरीके से किये गये विपक्षी संख्या 1 से 3 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सिंघवी ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव सगपुरा खाखड़, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 26 क्षेत्रफल 0.4800हे. भूमि स्थित है, किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थी का उनके बापदादाओं के समय से कोई कब्जा नहीं हैं। उल्लेखित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का ही लम्बे समय से कब्जा होकर आज भी विपक्षी संख्या 1 से 3 ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने उल्लेखित भूमि के चारो ओर पत्थर की चार दिवारी निर्माण करने का कार्य शुरू किया, जिसकी शिकायत विपक्षी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार झाड़ोल को करने पर दिनांक 17.01.2013 को उल्लेखित भूमि का मौका मुआयना पटवारी द्वारा किया जाकर प्रार्थीगण को निर्माण कार्य बंद करने के लिये पाबंद कर धारा 183बी के तहत कार्यवाही करने के लिये तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पेश की हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 को उल्लेखित भूमि नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर एवं नियमो की पालना कर आवंटित की गई है। प्रार्थीगण को आवंटन की जानकारी आवंटन के दिन से ही हैं। प्रार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति न होकर उनके पास पहले से ही काफी भूमि हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण मे मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2014 मे स्पष्ट किया कि मौजा सगपुरा खाखड़ की आराजी संख्या 3646/26 रकबा 0.48हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी सोमराज पिता मंगला, बालू, कागली पत्नि सोमराज मीणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त आराजी के पूर्वी किनारे पर भंवरलाल पिता मगना मेघवाल निवासी सगपुरा द्वारा पत्थर व कांटो की कोट लगाकर रकबा 0.17हे. पर कब्जा कर रखा हैं एवं एक पक्का कमरा मय बरामदा बना हुआ हैं। उक्त खसरा के पश्चिमी किनारे की तरफ भूरीलाल पिता चेनराम मेघवाल निवासी सगपुरा द्वारा पत्थर एवं कांटो की कोट लगाकर 0.20हे. भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसमे 2 कमरा मय बरामदा बना हुआ हैं। उक्त खसरा के दक्षिण की तरफ मेघवाल समाज द्वारा 0.04हे. पर पक्की चारदिवारी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मौके पर शेष रकबा 0.07हे. भूमि पड़त हैं। खातेदार सोमराज पिता मंगला, बालू कागली पत्नि सोमराज मीणा, निवासी तलाई को उक्त खसरा नम्बर 3646/26 रकबा

0.48हे. मानसी वाकल डूब क्षेत्र के विस्थापित के रूप मे आवंटित की गई हैं एवं वक्त आवंटन भूमि मौके पर पड़त होकर खाली थी। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी से आवंटन पत्रावली मंगवाई जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस के दौरान उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उपखंड अधिकारी झाड़ोल से प्राप्त आवंटन पत्रावली, तहसीलदार की रिपोर्ट मे वर्णित बिंदुओ एवं तथ्यो का गंभीरता से अध्ययन किया एवं जमाबंदी की नकल का अवलोकन किया।

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा मौजा सगपुरा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 26 रकबा 0.48हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार, सदस्य एवं सरंपच के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। नकल वर्तमान जमाबंदी से यह ज्ञात होता है कि मौजा सगपुरा तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 3646/26 रकबा 0.48हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का कब्जा उक्त भूमि पर होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। इसके विपरित विपक्षी संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि का आवंटन मानसीवाकल परियोजना के अंतर्गत हुए विस्थापित के रूप मे किया जाना एवं वक्त आवंटन भूमि पड़त होना आवंटन पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 से 3 को किया गया उक्त आवंटन विधि अनुसार किया जाना पाया जाता हैं। इसके अतिरिक्त खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने पर ही प्रदान किये जाते है। चूंकि विपक्षी संख्या 1 से 3 को मौजा सगपुरा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 3646/26 रकबा 0.48हे भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अतः ऐसी स्थिति मे नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा द्वारा मौजा सगपुरा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 3646/26 रकबा 0.48हे भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर